न्यायालय जिला कलेक्टर (आरबीट्रेटर) टोंक

(चिन्मयी गोपाल आई0ए0एस0 द्वारा अध्यासित)

प्रकरण संख्या 142/2011
प्रविष्टि दिनांक 21.04.2011

1–गंगाराम पुत्र हरजी जाट निवासी अमीरपुर खेडा तहसील व जिला टोंक
2–हीरालाल पुत्र हरजी जाट निवासी अमीरपुर खेडा तहसील व जिला टोंक
3–शकंर लाल पुत्र जयलाल निवासी अमीरपुर खेडा तहसील व जिला टोंक
4–सरजू बैवा जयलाल निवासी अमीरपुर खेडा तहसील व जिला टोंक

.... प्रार्थीगण

बनाम

1–सक्षम प्राधिकारी भूमि अवाप्ति,राष्ट्रीय राजमार्ग सं0 12 (अतिरिक्त जिला कलेक्टर) टोंक
2–परियोजना निदेशक, भारतीय राष्ट्रीय राज मार्ग प्राधिकरण, परियोजना इकाई, नेशनल हाइवे नं0 12 टोंक।
3–तहसीलदार टोंक
4–अरावली क्षैत्रीय ग्रामीण बैक छान शाखा
5–जिला सहकारी भूमि विकास बैक टोक शाखा
6–पंजाब नेशनल बैक टोक शाखा

.... अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 3(जी) (5)राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम 1956

उपस्थित (1) श्री रामप्रसाद चौधरी,अभिभाषक प्रार्थीगण
(2) श्री रामअवतार सोनी, अभिभाषक अप्रार्थी संख्या–2

निर्णय

दिनांक 10.10.2022

प्रार्थना पत्र का सारांश इस प्रकार है कि राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 12 के निर्माण मे ग्राम अमीरपुर खेडा तहसील टोंक की भूमि ख0नं0 83 मे से 4000 वर्गमीटर का मुआवजा विपक्षीगण द्वारा गलत निर्धारण कर डीएलसी दर से कम दर पर निर्धारित किया गया है। प्रार्थीगण सिचिंत, आबादी /सडक के पास स्थित भूमि की दर से तथा भूमि पर लगे पेड–पौधो का मुआवजा राशि प्राप्त करने का अधिकारी हैं। अतः अवार्ड 1242/09 दिनांक 05.07.2010 को निरस्त कर सिचिंत, आबादी /सडक के पास स्थित भूमि की दर से तथा भूमि पर लगे पेड–पौधो का मुआवजा दिलवाया जावे।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर कर तलबी अप्रार्थीगण की एवं अवार्ड पुत्रावली 1242/09 दिनांक 05.07.2010 तलब की गई एवं उभयपक्ष की बहस सुनी गई।

Signature Not Verified
Digitally signed by Chinmayee Gopal
Date: 2023.02.04 16:51:42 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय जिला कलेक्टर टोंक (राजस्थान) सत्यमेव जयते

आर्बिट्रेटर N.H.–12
(जिला कलेक्टर)
टोंक (राज.)

अभिभाषक अप्रार्थी संख्या 2 ने जवाब प्रार्थना पत्र/लिखित बहस मे अंकित किया कि राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 12 के निर्माण हेतु प्रार्थीगण की भूमि ख0नं0 83 मे से कुल रकबा 4000 वर्गमीटर वाके ग्राम अमीरपुर खेडा मे अवाप्त की गई है। अवाप्त भूमि का अधिनियम की धारा 3 ए के अन्तर्गत नोटिफिकेशन जारी होने के पश्चात प्रार्थीगण को 3 सी के अन्तर्गत आपत्ति प्रस्तुत करने का अवसर प्राप्त था, परन्तु प्राथीगर्ण द्वारा कोंई आपत्ति प्रस्तुत नहीं की जिसके पश्चात धारा 3 डी के अन्तर्गत नोटिफिकेंशन जारी किया गया तथा भूमि अन्तिम रूप से केन्द्र सरकार मे निहित हो गई। प्रार्थीगण को नोटिस जारी किया गया था, परन्तु प्रार्थीगण द्वारा कोई आपत्ति प्रस्तुत नही की है। सक्षम प्राधिकारी द्वारा बाजार भाव का आकंलन सब रजिस्टार द्वारा प्राप्त बाजार भाव मौके पर भूमि की स्थिति उपयोगिता का ध्यान रखते हुये मुआवजे की राशि का निर्धारण किया गया है। जमीन की किस्म बारानी–2 राजस्व रिकार्ड मे अंकित थी। प्रार्थीगण सिचिंत, आबादी /सडक के पास स्थित भूमि की दर से तथा भूमि पर लगे पेड–पौधो की भूमि का मुआवजा निर्धारित करवाने का अधिकारी नही है।सक्षम प्राधिकारी द्वारा सर्म्पूण तथ्यो को मध्यनजर रखते हुये अवार्ड जारी किया है जो उचित है। अतः प्रार्थना पत्र खारिज योग्य है।

हमने बहस अभिभाषक प्रार्थी व अभिभाषक अप्रार्थी संख्या–2 सुनी। जवाब/बहस का अवलोकन किया तथा पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात अवार्ड पत्रावली तथा अभिभाषक अप्रार्थी संख्या 2 द्वारा प्रस्तुत लिखित बहस का ध्यानपूर्वक अध्ययन किया। सक्षम प्राधिकारी भूमि अवाप्ति अधिकारी राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 12 अति0 जिला कलेक्टर टोंक द्वारा प्रार्थीगण की भूमि ख0न0 83 मे से 4000 वर्गमीटर,किस्म जमीन बारानी–2 वाके ग्राम अमीरपुर खेडा का अधिनियम की धारा 3 (ए) व 3 (डी) अनुसार मुआवजे का निर्धारण नियमानुसार किया गया है। प्रार्थीगण द्वारा अवाप्तशुदा भूमि का मुआवजा सिचिंत, आबादी /सडक के पास स्थित भूमि की दर से तथा भूमि पर लगे पेड–पौधो का चाहा गया है,परन्तु उनके द्वारा इसकी तायद मे साक्ष्य–सबूत प्रस्तुत नही किया गया है। अतः प्रार्थना पत्र सारहीन व तथ्यहीन होने से खारिज किया जाता है। तलबिदा रिकार्ड मय निर्णय प्रति सक्षम प्राधिकारी भूमि अवाप्ति राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या–12 अतिरिक्त जिला कलेक्टर, टोंक को प्रेषित किया जावे।

निर्णय आज दिनाक 10.10.2022 को खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

(चिन्मयी गोपाल)
आर्बिट्रेटर एन.एच.–12
(जिला कलेक्टर)
टोंक (राज.)

न्यायालय जिला कलेक्टर
सत्यमेव जयते
टोंक (राज...)

Signature Not Verified

Digitally signed by Chinmayee Gopal
Date: 2023.02.04 16:51:42 IST
Reason: SelfAttested